



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37()पंरावि/प्र.2/कलि/अवै.अव./2018/3564 जयपुर दिनांक: 03-08-2018

-: परिपत्र :-

प्रायः देखा गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के कार्मिकों के विभिन्न प्रकार के अवकाश प्रकरण स्वीकृति के क्रम में विभाग को भिजवाये जाते रहे हैं।

इस संबंध में विभागीय परिपत्र क्रमांक 4199 दिनांक 23.12.2010 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 293 में पंचायती राज कार्मिकों के वेतन, छुट्टी, भत्ते एवं पेंशन आदि का विनियमन (पंचायती राज नियमों में उपबन्धित नियमों के सिवाय) राजस्थान सेवा नियम 1951 के अनुसार होने का प्रावधान है। राजस्थान सेवा नियम, 1951 भाग-II के परिशिष्ट-IX के क्रम संख्या 22(ग),(घ),(ड.) के अनुसार अध्ययनार्थ तथा असमर्थता अवकाश के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार के अवकाश अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवा संवर्ग हेतु स्वीकृत करने की सम्पूर्ण शक्ति प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त संयुक्त/उप विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को उसके नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कर्मचारीगण के लिए सम्पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 293 एवं 334(1) तथा राजस्थान सेवा नियम, 1951 भाग-II के परिशिष्ट-IX के 22(ग),(घ),(ड.) के अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवाओं के अन्तर्गत आने वाले उक्त संवर्गों के समस्त कर्मचारियों यथा ग्रामसरोक, अध्यापक, लिपिक वर्गीय आदि कार्मिकों के अध्ययनार्थ तथा असमर्थता अवकाश, निःशक्तता एवं विदेश जाने के अवकाश के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार के मामले में कार्यालयाध्यक्ष सक्षम हैं।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के प्रावधान राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं। उक्त प्रावधान स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों पर सीधे ही लागू नहीं होते हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 293 के प्रावधान के क्रम में पंचायती राज संस्थाओं के परिवीक्षाधीन कार्मिक (Probationer Trainee) को वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 11.06.2014 के संदर्भ में असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग के स्तर पर सक्षम स्तर का निर्णय लिया जाकर प्रकरणों का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

३/८/२०१८

अतः वित्त (नियम) विभाग की उक्त टिप्पणी के क्रम में पंचायती राज संस्थाओं के समस्त अराजपत्रित कार्मिकों के समस्त प्रकार के अवकाश स्वीकृति के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	अवकाश अवधि	स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर
1	तीन माह तक की अवधि के प्रकरण	संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति
2	तीन माह से अधिक परन्तु एक वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
3	एक वर्ष से अधिक अवधि के समस्त प्रकरण	विभागाध्यक्ष (शासन सचिव एवं आयुक्त), पंचायती राज विभाग

यह परिपत्र वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 211800441 दिनांक 18.07.2018 के क्रम में जारी किया जाता है।

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीणराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. एसीपी, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
7. रक्षित पत्रावली।

(दिनेश कुमार जांगिड)
संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त